दिनांक 07.04.2021
प्रेस विज्ञप्ति 07/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>कमिश्नरेट लखनऊ/थाना कैण्ट</u>

- **चोरी एवं हत्या की घटना का अनावरण**
- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 70 लाख रूपये नगद बरामद**

दिनांक 07.04.2021 को थाना कैण्ट व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा करियप्पा इंक्लेब मोड के पास से चेकिंग के दौरान 04 अभियुक्त 1–तीरथ कुमार मंजीत, 2–मोहन, 3–उदयराज उर्फ उजयवीर, 4–अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 70 लाख रूपये नगद बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 26.03.2021 को थाना कैण्ट क्षेत्रान्तर्गत चोरी व हत्या के सम्बन्ध में थाना कैण्ट पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कैण्ट पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–तीरथ कुमार उर्फ मंजीत निवासी दीवानी रोड मौसमबाग थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी।

2–मोहन निवासी राधानगर थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी।

3–उदयराज उर्फ उदयबीर निवासी राधानगर थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी।

4–अभियुक्ता।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी के 70 लाख रूपये नगद।

जनपद एटा/थाना कोतावाली

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 05 लाख रूपये कीमत के चोरी के 26 मोबाइल फोन**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 06.04.2021 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रोडवेज बस स्टैंड के पास से 02 अभियुक्तों 1–अमान खां, 2–राजेश को गिरफ्तार कर मोबाइल की दुकान में हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 05 लाख रूपये कीमत के चोरी के 26 मोबाइल फोन, 02 अवैध तमंचे, 02 जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त अमान खां शातिर किस्म का अपराधी है। जिसके विरूद्ध चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अमान खां निवासी मो0 पूर्व थोक कस्बा व थाना गंजडुंडवारा जनपद कासगंज, अस्थाई पता थाना मानपाडा जनपद थाणे, मुम्बई।

2–राजेश निवासी पालघर महाराष्ट्र ।

बरामदगी

1–लगभग 05 लाख रूपये कीमत के चोरी के 26 मोबाइल फोन।

2–02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना चिनहट

- **02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने चाँदी के आभूषण, 27 हजार रूपये नगद**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 07.04.2021 को थाना चिनहट व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर टेराखास रेलवे क्रासिंग सतरिख रोड के पास से चेकिंग के दौरान 02 शातिर अभियुक्त 1—भानू, 2—रघुवीर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के सोने चाँदी के आभूषण (02 सोने की चैन, 01 सोने का लाकेट, 01 मंगलसूत्र, 01 सोने के टप्स, 02 सोने की अंगूठी, 01 जोडी चाँदी के पायल, 04 चाँदी के सिक्के) 27 हजार रूपये नगद, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है। जिनके विरूद्ध चोरी के कई अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद सोने, चाँदी के आभूषण थाना चिनहट पर पंजीकृत कई अभियोगों से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना चिनहट पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—भानू निवासी बबुरिहा मजरा जुग्गौर थाना चिनहट लखनऊ।

2—रघुबीर निवासी बबुरिहा मजरा जुग्गौर थाना चिनहट लखनऊ।

<u>बरामदगी</u>

1—चोरी के सोने चाँदी के आभूषण (02 सोने की चैन, 01 सोने का लाकेट, 01 मंगलसूत्र, 01 सोने के टप्स, 02 सोने की अंगूठी, 01 जोडी चाँदी के पायल, 04 चाँदी के सिक्के)

2—27 हजार रूपये नगद।

3—01 मोटर साइकिल।

जनपद सुलतानपुर/थाना धम्मौर

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **16 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **जीवित व खोखा कारतूस**
- **भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 07.04.2021 को थाना धम्मौर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जंगलात नदी के किनारे चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 शातिर अभियुक्तों 1—दयाशंकर, 2—मो0आरिफ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 16 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, जीवित व खोखा कारतूस व भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिसमें अभियुक्त दयाशंकर के विरूद्ध जनपद सुलतानपुर, प्रतापगढ़, अमेठी के विभिन्न थानो में हत्या, अपहरण, लूट, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट आदि के एक दर्जन अभियोग, अभियुक्त मो0 आरिफ के विरूद्ध जनपद सुलतानपुर के विभिन्न थानो में लूट, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना धम्मौर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—दयाशंकर निवासी राजापुर थाना धम्मौर जनपद सुलतानपुर।

2—मो0आरिफ निवासी बहादुरपुर तकिया लौहर दक्षिण थाना धम्मौर जनपद सुलतानपुर।

बरामदगी

1—16 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2—जीवित व खोखा कारतूस।

3—भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

जनपद सीतापुर/थाना खैराबाद, थाना सकरन

- **02 अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **16 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, कारतूस**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 07.04.2021 को थाना खैराबाद व थाना सकरन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भिन्न–2 स्थानो से चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्तों 1–रामाश्रय उर्फ शेरा, 2–राजकुमार को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 16 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, कारतूस व अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है। जिनमें अभियुक्त रामाश्रय उर्फ शेरा के विरूद्ध जनपद सीतापुर के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 05 अभियोग, व अभियुक्त राजकुमार के विरूद्ध जनपद सीतापुर के विभिन्न थानो में आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना खैराबाद, थाना सकरन पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–रामाश्रय उर्फ शेरा निवासी रमुवापुर मजरा भदियासी थाना खैराबाद जनपद सीतापुर।

2–राजकुमार निवासी सोनावा थाना रेउसा जनपद सीतापुर।

<u>बरामदगी</u>

1–16 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2–कारतूस।

3–अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

जनपद हरदोई/थाना माधौगंज

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार**
- **10 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, जीवित कारतूस**
- **शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 07.04.2021 को थाना माधौगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर घेंघईया के पास से चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त मनोज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 10 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, जीवित कारतूस व शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना माधौगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मनोज निवासी बरगांवा थाना बिलग्राम जनपद हरदोई।

बरामदगी

1–10 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।
2–जीवित कारतूस।
3–शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

जनपद अयोध्या/थाना कैण्ट

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 07.04.2021 को थाना कैण्ट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मऊशिवाला चौराहे के पास से चेकिंग के दौरान 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त महताब को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद अयोध्या के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 858/2020 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कैण्ट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—महताब निवासी इटकौली थाना गोसाईगंज जनपद सुलतानपुर।

<u>बरामदगी</u>

1—01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस।

<u>एस0टी0एफ0— गोरखपुर परिक्षेत्र से रू0 50,000/— का ईनामीं/शातिर लूटेरा एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में गिरफ्तार।</u>

दिनांक 07—04—2021 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को गोरखपुर परिक्षेत्र से रू0 50,000/— का पुरस्कार घोषित शातिर लूटेरे वीरेन्द्र सिंह को साहसिक मुठभेड़ के बाद जनपद वाराणसी से गिरफ्तार करने मे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः</u>

वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्रीनाथ सिंह नि0 सोनपुरवा, पोस्ट छिब्बी, थाना रसड़ा, बलिया।

<u>बरामदगीः</u>

1— 01 अदद तमन्चा .315 बोर।

2— 02 अदद खोखा कारतूस

3— 01 अदद जिन्दा .315 बोर कारतूस।

4— 01 अदद मिस कारतूस।

5— 01 अदद मोबाईल फोन।

6— रू0 600/— नगद।

<u>गिरफ्तारी का दिनांक व समय/स्थान :-</u>

दिनांक 07—04—2021 को समय 01.50 बजे रात्रि लंका मैदान ग्राम भीटी, थाना क्षेत्र रामनगर, वाराणसी।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 द्वारा प्रदेश के ईनामी अपराधियों की गिरफ्तारी व आवश्यक कार्यवाही हेतु आदेश—निर्देश दिये जाते रहे है, इसी क्रम में श्री अवनीश्वर चन्द्र श्रीवास्तव, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण मे उ0नि0 पवन कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर पुरस्कार घोषित अपराधियों के सम्बन्ध में विभिन्न माध्यमों से अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में जरिये मुखबिर खास ज्ञात हुआ कि गोरखपुर परिक्षेत्र से रू0 50 हजार का इनामी अपराधी वीरेन्द्र सिंह जनपद वाराणसी के थाना क्षेत्र रामनगर के पीएसी तिराहे के पास मौजूद है जो कहीं जाने की फिराक में है। इस सूचना पर जनपद वाराणसी में पूर्व से ही मौजूद एसटीएफ मुख्यालय टीम के प्रभारी द्वारा प्राप्त सूचना से उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुए स्थानीय पुलिस व मुखबिर को साथ लेकर पीएसी तिराहे से पहले मोड के पा पहॅुचे तो मुखबिर ने दूर खड़े व्यक्ति को देखकर बताया कि जो व्यक्ति कुए के पास खड़ा है वही वीरेन्द्र सिंह है जिस पर रू0 50 हजार का इनाम घोषित है। एसटीएफ टीम व स्थानीय पुलिस जैसे ही उस व्यक्ति की तरफ बढ़े वह पुलिस टीम को देखकर लंका मैदान की तरफ भागते हुए पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर करने लगा जवाबी कार्यवाही में एसटीएफ टीम द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायर किया गया जिस पर वह व्यक्ति घायल होकर गिर गया जिसे गिरफ्तार कर प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि अपने ही गॉव के मैनेजर, छद्दू सिंह, अजीज नट के साथ मिलकर वर्ष–2007 में गॉजा भांग सेवन करने का आदि हो गया, इन लोगो के ही साथ मिल अष्टधातु की मूर्ति चोरी किया, जिसमें जेल चला गया, जेल से बाहर आने के बाद वर्ष–2008 में हेरोईन बेचने लगा जिस पर पुनः जेल चला गया। जमानत पर बाहर फिर वर्ष–2010 में अपने गैंग के सदस्यो के साथ मिलकर कोपागंज मऊ में चोरी किया, जिस पर जेल चला गया, लगभग 18–19 माह जेल में रहने के बाद बाहर आया। पुनः वर्ष–2016 में सिकन्दरपुर बलिया में डकैती किया जिस पर लगभग एक माह बाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वर्ष–2020 में अपने ही गैंग के साथ मिलकर देवरिया के एक ईट भठ्ठे पर तथा इसी वर्ष गोरखपुर के एक ईट भठ्ठे पर डकैती डाला। इसी घटना के विरूद्ध थाना लार, जनपद देवरिया पर मु0अ0सं0 286/2020 धारा 395 412 भादवि एवं जनपद गोरखपुर के थाना गगहा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 736/2020 धारा 395, 342, 354, 412 भादवि एवं 7/8 पास्को एक्ट में इसके गिरफ्तारी हेतु रू0 50 हजार का पुरस्कार घोषित था।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः</u>

क्र०सं०	मु०अ०सं०	धारा	थाना	जनपद
1	103/2007	365, 368 भादवि	रसड़ा	बलिया
2	142/2007	2/3 (1) गै0एक्ट	रसड़ा	बलिया
3	267/2008	8/20 एनडीपीएस एक्ट	रसड़ा	बलिया
4	1225/2010	457, 380, 411 भादवि	कोपागंज	मऊ
5	312/2016	399, 402, 412 भादवि	सिकन्दरपुर	बलिया
6	271/2016	392, 395, 412 भादवि	सिकन्दरपुर	बलिया
7	384/2016	2/3 (1) गै0एक्ट	सिकन्दरपुर	बलिया
8	286/2020	395, 412 भादवि	लार	देवरिया
9	736/2020	395, 342, 354, 412 भादवि एवं 7/8 पास्को एक्ट	गगहा	गोरखपुर

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना रामनगर, वाराणसी पर मु0अ0सं0 90/2021 धारा–307 भादवि व मु0अ0सं0 91/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

————————